(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 840–तीन/2003 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 19–11–2002– पारित द्वारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण नम्बर 196/1995–96 अपील

गोपीराम पुत्र प्यारेलाल यादव
ग्राम मिरचोली तहसील व
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

हरभजन पुत्र नाथूराम यादव
ग्राम मिरचोली तहसील व
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है)

आ दे श

(आज दिनांक 2–11–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 196/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 19–11–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त फूफ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके पिता नाथूराम ग्राम मिरचोली के कोटवार हैं किन्तु काफी वृद्ध हो जाने से त्याग पत्र दे दिया है जिसके कारण कोटवार पद रिक्त हुआ है। अतएव कोटवार का पुत्र होने के नाते उसकी नियुक्ति रिक्त कोटवार पद पर की जावे।

नायब तहसीलदार वृत्त फूफ ने प्रकरण कमांक 8/1994-95 अ 56 दर्ज करके कार्यवाही प्रारंभ की, जिस पर आवेदक ने भी कोटवार पद नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार ने उभय पक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 7-4-1995 पारित किया तथा आवेदक को कोटवार के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 66/1994795 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-1996 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 196/1995-96 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19-11-2002 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा अनावेदक को पूर्व कोटवार का पुत्र होने के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश दिये गये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी पेश हुई है।

3/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का कहना है कि नायब तहसीलदार ने एंव अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने अपने आदेशों में अनावेदक को आवेदक के समान योग्यता वाला नहीं माना है तब अनावेदक को कोटवार पद के लिये वरीयता देकर नियुक्त करवाने का अपर आयुक्त का निर्णय सही नहीं है। जब एक वार नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 7-4-1995 को अपीलीय कोर्ट अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने आदेश दिनांक 31-7-1996 से पुष्टिकृत कर दिया, अपर आयुक्त को नियमों एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से हटकर निर्णय नहीं लेना था इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में आये तथ्यों के अवलोकन से स्थिति यह है कि जब कोटवार पद की उम्मीदवारी के लिये दो आवेदक समान

योग्यताधारी हों तब कोटवार की नियुक्ति किन आधारों पर की जावेगी। आनन्दराम बनाम मोखितराम 1988 राजस्व निर्णय 290 तथा रामगोपाल विरूद्व छोटेलाल 1988 राजस्व निर्णय 339 में बताया गया है कि अभ्यर्थियों की योग्यता समान होने पर भूतपूर्व कोटवार के पुत्र को वरीयता प्राप्त होगी। इसी प्रकार शान्तुमुनिदास विरूद्व श्रीमती विटामिन वाई तथा अन्य एक 1995 राजस्व निर्णय 135 में निर्णीत किया गया है कि ग्राम खुरूसबोड के कोटवारी पद के लिये पुनरीक्षणकर्ता शान्तुमुनिदास ने दसवीं कक्षा पास एंव अनुभव के आधार पर नियुक्ति के लिये आवेदन दिया तथा अनावेदिका विटामिन वाई ने भूतपूर्व कोटवार धुनसीराम की पुत्री होने और कक्षा पॉचवी तक शिक्षा के आधार पर आवेदन पेश किया। नायब तहसीलदार ने अनावेदिका को अग्रमान्यता देकर नियुक्त किया एंव अपील में एस0डी0ओ0 ने अधिक शिक्षा के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता को नियुक्त किया, किन्तु अपर आयुक्त रायपुर ने नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा। पुनरीक्षण में निर्णय दिया गया कि शैक्षणिक योग्यता महत्वहीन है तथा अनुभव भी महत्वहीन है रिस्तेदार को अग्रमान्यता देना उचित है। विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति पाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 196/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-11-2002 से अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्ति करने के निर्देश दिये है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 196/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-11-2002 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर